उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या- 11/2017/ पी-201 /अड़तीस-9-17-13(बजट)/15

लखनऊ : दिनांक- 31 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-13** के अन्तर्गत निम्नवत् तालिका के कालम-2 में अंकित लेखा शीर्षक के मानक मद में हो रही कुल बचत रू0 1,14,60,000.00 /-(रूपये एक करोड़ चौदह लाख साठ हजार मात्र), जिसका विवरण कालम-3 में है, को पुनर्ग्रहण हेतु वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है:-

आयोजनागत पक्ष **(धनराशि हजार रूपये में)**

क्रं0 सं0	**लेखा शीर्षक के विवरण**	**बचत/ समर्पित धनराशि**
1	**2**	**3**
1	"5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04- जिला तथा अन्य सड़कें-337- सड़क निर्माण कार्य-02- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-0201- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-2 के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)- 24- वृहत निर्माण कार्य''	**11460**
कुल योग-		**11460**

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

संख्या- यू0ओ0-ई-2-268/दस-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि क़पया उपर्युक्त धनराशि बचत रू0 1,14,60,000.00 /-(रूपये एक करोड़ चौदह लाख साठ हजार मात्र) की बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्ग्रहण कर ली गयी है।

बाराती लाल
उप सचिव।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या-11/2017/पी-201(1)/अइतीस-9-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in